

सख्यांक 1

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास - महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 88 / 2023

तारीख दायर : 19.06.2023



अनवान

1. सोनु कंवर पुत्री नारायणसिंह पत्नि कालूसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया हाल मुकाम फतेहगढ़ तहसील कोटडी।
2. सीमा कंवर पुत्री नारायणसिंह पत्नि सुरवीरसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया हाल मुकाम खातीखेडा तहसील हमीरगढ़।
3. किरणकंवर पुत्री नारायणसिंह पत्नि धारतसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया हाल मुकाम भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा।
4. सुगन कंवर पत्नि नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।

वादीगण...

बनाम

1. देबीसिंह पुत्र ईश्वर सिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण..

उपस्थित :-

1. श्री रमेश चन्द्र शर्मा (अधिवक्ता वादीगण)।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-: निर्णय :-

दिनांक 08.08.2022

वादपत्र वादीगण अर्न्तगत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम धामणिया पटवार हल्का धामणिया तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी सख्या 1979 रकबा 0.3723 हेक्टर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। हर्जा खर्चा मुकद्मात फरिक्तेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज 08.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया।

महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

माण्डलगढ़

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रुपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			2. अर्जी के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस		
4. ....			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
प्लीडर की फीस					
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय					
6. कमिश्नर की फीस			5. आदेशिका को तामील		
7. आदेशिका की तामील			6. कमिश्नर की फीस		



महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

माण्डलगढ़